राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2012

जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं जन साधारण के परिवादों का राज्य स्तर पर निराकरण करने की दृष्टि से इस विभाग की स्थापना अधिसूचना क्रमांकः प.2(20)जीए/ए/71, दिनांक 26.07.1971 के तहत की गई थी। विभाग के प्रशासनिक मुख्य अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को रखा गया है, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग के पदनाम से जाना जाता है।

1. <u>जन अभियोग निराकरण के लिए वर्तमान व्यवस्था</u> :–

विभाग की अधिकारिता सरकारी अधिसूचना संख्याः एफ–2(20) जीए/ए/71, दिनांक 26.07.1971, 24.09.1971 तथा 13.03.1972 द्वारा परिभाषित की गई है जिन के अनुसार निम्नलिखित कार्य प्रमुख हैं:–

1. ऐसे सरकारी कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामले जिन्हें 3 वर्ष से अधिक समय से स्थायी नहीं किया हो।
2. पेंशन तथा उपादान (ग्रेच्युटी) के मामले।
3. तीन माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिलना।
4. सेवा निवृत्तियों, मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बीमा की रकम नहीं मिलना।
5. सेवा से निलम्बन के मामले, जहां कि कोई सरकारी कर्मचारी दो वर्ष से अधिक समय से निलम्बित चल रहा हो।

2. राज्य से संबधित शिकायतें, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाली शिकायतें एवं कर्मचारियों/आम जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतें इस विभाग में प्राप्त होती है साथ ही जन समस्याओं जैसे सफाई, पानी, बिजली की सुविधायें व अतिक्रमण जो जन समस्याओं की परिधि में आते हैं उनका निस्तारण इस विभाग द्वारा समय पर किया जाता है।

3. शिकायतों के वे मामले जिनमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निपटारे में देरी की गई हो या ऐसे मामलों जिन पर विभागों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया हो, पर भी विचार किया जाता है। दिनांक 09.01.1980 से इस विभाग का कार्यक्षेत्र और अधिक विस्तृत कर दिया गया जिसके अन्तर्गत नगर निगम/परिषद/पालिका (मण्डल) एवं नगर विकास न्यास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विधवायें, अंगहीन व्यक्तियों तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में देरी, बकाया वेतन का भुगतान, यात्रा भत्ता, वार्षिक तरक्की, अमानत राशि की वापसी, चिकित्सा भत्ता, निर्वाह भत्ता, बीमा सम्बन्धी कार्य आदि का निस्तारण परीक्षणोंपरान्त किया जाता है।

4. यह विभाग कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं, पूर्वोद्वाहरणों इत्यादि में परिवर्तन की सिफारिश करने हेतु अधिकृत है जिससे कार्य का निपटारा शीघ्र हो सके या वे अभियोगों के निराकरण में सहायक हो सके। विभिन्न सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा किये गये विनिश्चयों में से अभिकथित अनौचित्य के सुस्पष्ट मामलों को भी जन अभियोग निराकरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश पर अथवा जब कभी भी मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री या मुख्य सचिव महोदय द्वारा विशेष रूप से चाहा जाये, ऐसे प्रकरण भी इस विभाग द्वारा देखे जाते है।

5. मई 1992 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त व राज्यपाल महोदय द्वारा आयोजित जन सुनवाई में उन्हें प्राप्त सभी शिकायतों का निराकरण करने हेतु उन्हें जन अभियोग निराकरण विभाग में भेजा जाये और वांछित कार्यवाही/शिकायतों का निराकरण कर जनता को राहत पहुंचाई जावे, जिससे राज्य सरकार के प्रति जनता का विश्वास अधिक बढ़े। जिसके परिणाम स्वरूप राज्यपाल सचिवालय से भी माननीय राज्यपाल महोदया को प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन इस विभाग को अग्रेषित किये जाने लगे जिससे इस विभाग में प्राप्त होने वाले परिवादों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

6. इस विभाग में दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि में 12580 परिवाद/प्रकरण प्राप्त हुए जिन्हें सुगम वेब पॉर्टल पर विभागों को कार्यवाही हेतु ऑन लाईन दर्ज करवाया गया। विभाग द्वारा 3854 परिवादों/पत्रों को मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागो को भिजवाया गया तथा 8618 परिवादों/पत्रों पर कार्यवाही की गई। विभाग में कार्यवाही हेतु 108 नई पत्रावलियां खोली जाकर सम्बन्धित शासन सचिवों/विभागाध्यक्षों से तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गई है। दिनांक 31.12.2011 को विभाग में 309 परिवाद लम्बित थे, उपरोक्त 108 नई खोली गई पत्रावलियों को मिलाकर कुल 417 परिवादों में से 115 परिवादों का पूर्णरूपेण निस्तारण कराकर बंद कराये गये। दिनांक 31.12.2012 को 302 परिवाद शेष रहे।

7. <u>जिला एवं उपखण्ड स्तर पर जन सुनवाई</u> :–

विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.4(11) आरपीजी/एएस/एफ/99 दिनांक 15.01.2007 से माननीय मुख्य सचिव महोदय की ओर से सभी संभागीय आयुक्तों/जिला कलेक्ट्रों/उप खण्ड अधिकारियों को जन सुनवाई कर आम आदमी के परिवादों का त्वरित समाधान करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये :–

1. जिला कलेक्टरों/अतिरिक्त जिला क़लेक्टरों एवं उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रति सप्ताह 2 बार लगभग आधे दिन का समय देकर प्राप्त परिवादों का जन सुनवाई के माध्यम से एक निर्धारित समय सीमा में निपटारा करेंगें। यह कार्य उनके दैनिक रूटीन कार्य के अतिरिक्त होगा।
2. भिन्न–भिन्न प्रकार के परिवादों के लिए एक सुनिश्चित समय सीमा तय की जायें। निर्धारित समय सीमा में परिवाद का निस्तारण न होने की स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
3. प्रतिमाह जिला स्तर पर अन्तिम शनिवार तथा उपखण्ड स्तर पर भी प्रतिमाह आयोजित होने वाली सतर्कता समितियों की

बैठकें बिना किसी व्यवधान के आयोजित कर लंबित/प्राप्त परिवादों का निस्तारण किया जाए। यदि उस दिन राजकीय अवकाश पड़ता हो तो यह बैठक आगामी कार्य दिवस को आवश्यक रूप से आयोजित की जावे। संभागीय आयुक्त इन सतर्कता समितियों की बैठकों में लिये गये निर्णयों की नियमित क्रियान्विति सुनिश्चित करेगें। जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा इन बैठकों की समीक्षा पूर्व की भांति की जायेगी।

8. विभिन्न जिलों में कार्यरत जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों की आलोच्य अवधि दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 के दौरान कुल 329 बैठकें आयोजित की गई। इस अवधि में विभिन्न जिलों में समितियों द्वारा 2818 नये प्रकरण दर्ज किये गये जिससे पूर्व में बकाया 366 प्रकरणों को मिलाकर कुल 3184 प्रकरण हो गये जिनमें से समितियों द्वारा 2787 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

9. <u>सुगम सेण्टर</u> :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में सचिवालय स्थित पुराने स्वागत कक्ष में "सुगम सेन्टर" की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 12.5.2011 को किया गया। सुगम सेन्टर पर कम्प्यूटराईजेशन के माध्यम से विभिन्न विभागों को जोड़ कर जन अभियोग निराकरण विभाग एवं सेन्टर पर सीधे ही प्राप्त हो रहे आम जनता के अभाव अभियोगों का निराकरण त्वरित गति से करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जनहित में दिनांक 02.07.2012 से सुगम वेब पॉर्टल को भारत सरकार के CPGRAM पॉर्टल से जोड़ा दिया गया है जिसके फलस्वरूप भारत सरकार के इस पॉर्टल पर दर्ज राजस्थान सरकार के विभागों से सम्बन्धित शिकायतों/अभियोगों को सुगम वेब पॉर्टल पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

10. दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक सुगम सेन्टर पर कुल 104157 प्रकरण ऑन लाईन दर्ज किये गये जिनमें से 73239 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है जो प्राप्त प्रकरणों का 70 प्रतिशत होता है। 30918 प्रकरण लम्बित है जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

****

परिशिष्ठ – I

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

दिनांक 01.01.2012 से दिनांक 31.12.2012 तक सम्पादित कार्यो का वार्षिक विवरण

वर्ष के आरम्भ में लम्बित पत्रों की संख्या	वर्ष में प्राप्त पत्रों की संख्या	योग	वर्ष में निस्तारित किये गये पत्रों/परिवादों की संख्या			वर्ष के अन्त में लम्बित पत्रों की संख्या	वर्ष के आरम्भ में लंबित परिवादों की संख्या	कुल योग कालम (6 व 8)	वर्ष में निस्तारित परिवादों की संख्या	वर्ष समाप्ति पर लम्बित परिवादों की संख्या
			मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये पत्रो की संख्या	विभागीय पत्रावलियों पर कार्यवाही किये गये पत्रों की संख्या	पत्रों की संख्या जिन पर नई पत्रावलियां खोली गई					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
–	12580	12580	3854	8618	108	–	309	417	115	302

परिशिष्ठ – II

(दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक "सुगम सेन्टर" द्वारा सम्पादित कार्यो का विवरण)

क्र. सं.	विभाग	प्राप्त प्रकरणों की संख्या	निस्तारित प्रकरणों की संख्या	लम्बित प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5
1	जिला कलेक्टर्स से प्राप्त	45,552	36,355	9,197
2	विभागाध्यक्षों से प्राप्त	58,605	36,884	21,721
कुलः–		**1,04,157**	**73,239**	**30,918**

जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों द्वारा सम्पादित कार्यो का विवरण (01.01.2012 से 31.12.2012)

क्र. स.	जिले का नाम	बैठकों की संख्या	पूर्व बकाया अभियोगों की संख्या	प्राप्त अभियोगों की संख्या	कुल योग कालम (4 व 5)	निस्तारित अभियोगों की संख्या	शेष अभियोगों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	12	6	92	98	94	4
2.	अलवर	11	11	100	111	102	9
3.	बांसवाड़ा	10	3	28	31	27	4
4.	बारां	8	4	59	63	55	8
5.	बाड़मेर	8	14	48	62	50	12
6.	भरतपुर	10	14	217	231	208	23
7.	भीलवाड़ा	10	6	79	85	74	11
8.	बीकानेर	12	8	63	71	59	12
9.	बून्दी	10	5	22	27	22	5
10.	चित्तौड़गढ़	11	7	128	135	124	11
11.	चूरू	8	8	15	23	14	9
12.	दौसा	9	10	92	102	88	14
13.	धौलपुर	11	8	67	75	64	11
14.	डूंगरपुर	12	7	10	17	17	0
15.	हनुमानगढ़	10	7	117	124	91	33
16.	जयपुर	6	8	56	64	59	5
17.	जैसलमेर	10	41	65	106	93	13
18.	जालोर	12	8	107	115	109	6
19.	झालावाड़	9	22	59	81	72	9
20.	झुन्झुनू	11	4	75	79	67	12

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	जोधपुर	11	20	111	131	85	46
22.	करौली	10	16	231	247	221	26
23.	कोटा	11	7	67	74	69	5
24.	नागौर	11	6	156	162	148	14
25.	पाली	12	12	103	115	109	6
26.	प्रतापगढ़	12	6	28	34	30	4
27.	राजसमन्द	11	11	193	204	186	18
28.	सवाई माधोपुर	12	31	69	100	78	22
29.	सीकर	5	12	44	56	47	9
30.	सिरोही	8	5	70	75	63	12
31.	श्रीगंगानगर	9	11	26	37	32	5
32.	टौंक	6	13	101	114	104	10
33.	उदयपुर	11	15	120	135	126	9
योगः–		**329**	**366**	**2818**	**3184**	**2787**	**397**